न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1245–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–5–15 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, चाचौड़ा जिला गुना प्रकरण कमांक 155/अ–6/2014–15.

—

शिवनारायण पुत्र वद्रीलाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम नाईपुरा कलां
तहसील चाचौड़ा जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– लीलाबाई पत्नी अमरसिंह गूजर
निवासी ग्राम गुंजारी तहसील चाचौड़ा
2– म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम नाईपुरा कलां .....अनावेदकगण

श्री के.के द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील जौदोन, अभिभाषक,अनावेदक कमांक 1
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, चाचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, चाचौड़ा जिला गुना के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत इस

आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा ग्राम नाईपुरा कलां स्थित भूमि सर्वे कमांक 13 रकबा 0.419 हेक्टयेर, सर्वे कमांक 14 रकबा 0.679 हेक्टयेर, सर्वे कमांक 25 रकबा 3.459 हेक्टयेर, सर्वे कमांक 82 रकबा 0.251 हेक्टयेर, सर्वे कमांक 83 रकबा 3.187 हेक्टयेर कुल किता 5 कुल रकबा 8.067 हेक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20–4–10 से कय की गई है, अतः उक्त भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 155/अ–6/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः इस आशय की आपत्ति की गई कि ग्राम नाईपुरा कलां की नामांतरण पंजी कमांक 2 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक 25–6–10 जो कि अनावेदिका कमांक 1 के पक्ष में पारित हुआ था, उसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, चाचौड़ा जिला गुना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 37/अपील/09–10 दर्ज कर दिनांक 29–9–2011 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर नामांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया है, अतः एक बार नामांतरण आदेश निरस्त होने के उपरान्त दोबारा उसी भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, परन्तु अनावेदिका द्वारा तथ्यों को छिपाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–5–15 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब अनावेदिका कमांक 1 के पक्ष में पारित पूर्व नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–9–2011 को आदेश पारित कर नामांतरण आदेश निरस्त किया जा चुका है, तब अनावेदिका कमांक 1 द्वारा पुनः नये सिरे से नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि

नायब तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश का हवाला दिया गया है, उसके विरूद्ध अपील लंबित है, अतः उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । यह भी कहा गया कि आवेदक को तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश अनावेदिका कमांक 1 के पक्ष में है ओर अपील में जो आदेश पारित होगा, वह उभय पक्ष पर बंधनकारी होगा । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से कहा गया कि तहसील न्यायालय का आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–9–2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामांतरण पंजी कमांक 2 पर पारित आदेश दिनांक 25–6–2010 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि कि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण होने के उपरांत उभय पक्ष की सुनवाई कर विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । इससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की जाना है, अतः अनावेदिका कमांक 1 के आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में अनावेदिका कमांक 1 के पक्ष में नामांतरण आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में दिनांक 29–9–2011 को आदेश पारित कर

निरस्त किया जा चुका है । अतः अनावेदिका कमांक 1 द्वारा नये सिरे से आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की जाना है, इसलिए अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र महत्वहीन हो जाता है । इसी आशय की आपत्ति आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में की गई, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । परन्तु चूंकि तहसील न्यायालय के प्रकरण में आवेदक आवश्यक पक्षकार है, अतः तहसील न्यायालय को आवेदक को पक्षकार बनाया जाकर उसे पक्ष समर्थन का अवसर देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है । इस प्रकरण यह विधिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 26–5–2015 स्थिर रखते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि आवेदक को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसंगत आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, चाचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–15 स्थिर रखते हुए उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार, चाचौड़ा को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर